न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

रात्रि पंवार बनाम सरकार वगैरह किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट न. 83 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.09.2020	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 17.08.2020 को प्रपत्र संख्या 3 के साथ में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की पुनरक्षिण याचिका संख्या 2683/2020 अनवान समस्त ग्राम वासी आंगणवा द्वारा कलाराम वगैरह बनाम सरकार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 14.08.2020 की सत्यप्रतिलिपि की फोटोप्रति पेश की गई,जो शामिल मिसल रहे। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 14.08.2020 के जरिये न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2020 को निरस्त किया जा चुका है तथा विचारण न्यायालय को निर्देशित किया गया है कि उनके समक्ष लंबित प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 का निस्तारण अधिकतम 45 दिन में दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णीत करें, तब तक विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति उभय पक्ष बनाये रखेंगे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष वास्ते अंतिम कार्यवाही दिनांक 26.08.2020 को उपस्थित होंगे। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 14.08.2020 के जरिये न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2020 को निरस्त किये जाने एवं विचारण न्यायालय को उनके समक्ष विचाराधीन 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना-पत्र निस्तारण करने के निर्देश प्रदान कर देने के कारण यह अपील प्रभावहीन एवं सारहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट प्रभावहीन एवं सारहीन होने से खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति पालनार्थ भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल सुमार कर दाखिल दफ्तर की जावें। 2/9/2020 राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	